

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक-5, द्वितीय से पंचम तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

E-mail : rajmsa.asfe@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- रास्कूशिप/जय/वै.शि./

/CSG दिशा-निर्देश/2024-25/

दिनांक:-

कम्पोजिट स्कूल ग्रांट दिशा-निर्देश सत्र 2024-25

समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक, सह-शैक्षिक, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु कम्पोजिट स्कूल ग्रांट दिये जाने का प्रावधान है। विद्यार्थी हित में विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य को बढ़ावा देने के लिये पाठ्य-सहगामी क्रियाओं का विकास करना एवं विद्यालयों की दैनिक/भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

यह अनुदान डाइस डाटा 2022-23 के अनुसार राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को देय है, जो कि शिक्षा विभाग / पंचायती राज विभाग/केजीबीवी/संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों / शिक्षाकर्मि बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों / समाज कल्याण विभाग के अधीन आते हैं, को जारी की जानी है।

1) वित्तीय प्रावधान :-

S.No.	Enrollment	Composite School Grant per School
1	1-30	Rs. 10000 (Including atleast Rs. 1000 for Swachhta Action Plan)
2	31-100	Rs. 25000 (Including atleast Rs. 2500 for Swachhta Action Plan)
3	101-250	Rs. 50000 (Including atleast Rs. 5000 for Swachhta Action Plan)
4	251-1000	Rs. 75000 (Including atleast Rs. 7500 for Swachhta Action Plan)
5	Above 1000	Rs. 100000 (Including atleast Rs. 10000 for Swachhta Action Plan)

नोट :- 1) उपरोक्त तालिका की क्र.सं. 1 से 5 तक की विस्तृत सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

2) मर्ज हुए विद्यालय एवं शून्य नामांकन वाले विद्यालयों को यह अनुदान देय नहीं होगा।

2) कार्य प्रक्रिया :-

- सर्वप्रथम एसएमसी/एसडीएमसी अपने विद्यालय की वार्षिक आवश्यकताओं का चिह्नीकरण करें एवं लिखित प्रस्ताव प्राप्त करें।
- वर्षभर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान निर्धारित करें।
- एसएमसी/एसडीएमसी के 4 सदस्यों की एक क्रय समिति बनेगी, जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त दो अभिभावक सदस्य होंगे।
- क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिए।
- सामग्री क्रय कर रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर्स को सुव्यवस्थित सन्धारित करें।
- सीएसजी राशि का उपयोग किया जाकर विद्यालयों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। ब्लॉक कार्यालय द्वारा समेकित उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। जिला परियोजना समन्वयक जिले का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.) परिषद् कार्यालय को ई-मेल आईडी smsa.asfe2021@gmail.com पर निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-1) के अनुसार प्रेषित करेंगे।

RajKaj Ref
7399665

3) **विद्यालय स्तर :-** कम्पोजिट स्कूल ग्रांट की राशि का उपयोग निम्न सामग्री क्रय करने/कार्य में आवश्यकतानुसार किया जा सकता है -

क्रस	कार्यापयोग विवरण
1	दरी पट्टी/दरी।
2	परीक्षा सम्बन्धी स्टेशनरी।
3	पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यय, पंखा।
4	इन्टरनेट सम्बन्धी कार्य।
5	प्रतियोगिताओं का आयोजन/ खेल सामग्री / उपलब्धि प्रमाण-पत्र मुद्रण।
6	श्यामपट्ट मरम्मत एवं रंग-रोगन/ ग्रीन बोर्ड/ आदमकद दर्पण/ कार्मिकों का फोटो युक्त विवरण।
7	प्रयोगशाला सम्बन्धी उपकरणों के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु।
8	अन्य उपयोज्य सामग्री यथा: झाड़ू, मटका, बाल्टी, मग आदि।

क्रस	कार्यापयोग विवरण
9	चॉक, डस्टर।
10	एक दैनिक समाचार पत्र (अनिवार्य)।
11	शिक्षण अधिगम सामग्री में उपयोग
12	छात्र हित में अन्य आवर्ती खर्च।
13	अग्निशमन यन्त्र के सिलेण्डर में गैस भरवाने हेतु।
14	शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में रैफर किये गये विद्यार्थियों को अस्पताल ले जाने का किराया।
15	वार्षिक टूट-फूट, मरम्मत व सौंदर्यन (विद्यालय भवन, शौचालय/मूत्रालय व अन्य व्यवस्थाएं)।
16	विद्यालय के अक्रियाशील उपकरणों के प्रतिस्थापन हेतु।

4) **विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान :-** कम्पोजिट स्कूल ग्रांट में कम से कम 10 प्रतिशत राशि स्वच्छता एक्शन प्लान के लिए निर्धारित की गई है, जिसका उपयोग निम्न कार्यों हेतु ही किया जा सकेगा :-

क्रस	कार्यापयोग विवरण
1	विद्यालय के शौचालय / मूत्रालयों का नियमित उपयोग एवं रख-रखाव।
2	शौचालय / मूत्रालयों की साफ-सफाई व सफाई हेतु वांछित सामग्री यथा ब्रश ऐसिड, टॉयलेट क्लीनर आदि क्रय करने के लिए।
3	शौचालय / मूत्रालय की माईनर रिपेयर करवाने के लिए।
4	शौचालय / मूत्रालय में रनिंग वाटर सुविधा या पानी की टंकी रखवाने के लिए।
5	बालिका शौचालय के साथ डिसपेंसर एवं इन्स्पीनरेटर रिपेयर के लिए।

क्रस	कार्यापयोग विवरण
6	विद्यार्थियों को हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था करने के लिए।
7	बेकार पानी तथा सूखे कचरे के निस्तारण की व्यवस्था हेतु।
8	कक्षा-कक्षों एवं विद्यालय परिसर में रखने के लिए कचरा पात्र क्रय/तैयार करने हेतु।
9	पेयजल स्रोत की रिपेयरिंग कराने के लिए।
10	सैनेटाईजर, साबुन

नोट:- उक्त कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में उक्त राशि का उपयोग नहीं किया जाये। अति-आवश्यक होने पर परिषद् की पूर्वानुमति से उक्त राशि में बचत होने पर अन्य कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा।

4.1) **कम्पोजिट स्कूल ग्रांट राशि का निम्न मदों में व्यय नहीं किया जाये -**

1. फर्नीचर क्रय हेतु (छात्र/प्राधानाध्यापक कक्ष/ स्टाफ रुम फर्नीचर क्रय नहीं किया जाये)।
2. जलपान आदि पर।
3. उत्सव मनाना अथवा उत्सव आयोजन के फोटो खिंचवाना।

5) ध्यान देने योग्य बिन्दु :-

1. सामग्री क्रय करते समय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना करते हुये विद्यार्थी हित एवं विद्यार्थी आवश्यकता को प्राथमिकता दी जावे।
2. क्रय की गई सामग्री का उचित रखरखाव करते हुये, वर्ष पर्यन्त उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
3. विद्यालय अवलोकनकर्ता अधिकारी अवलोकन के दौरान कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट के सार्थक उपयोग का भी अवलोकन करें एवं प्रतिवेदन में इसका उल्लेख करें।
4. आईसीटी लैब को प्राथमिकता से क्रियाशील बनाना।
5. राशि उपयोग की सुनिश्चितता निम्नलिखित चरणबद्ध समय सीमा में किया जाना है –

जुलाई से सितम्बर	अक्टूबर से दिसम्बर	जनवरी से फरवरी तक
40%	30%	30%

6. बजट प्राप्त होने पर उक्त सारणी के अनुसार समय सीमा में राशि का उपयोग किया जाए। चरणबद्ध रूप से समय सीमा में राशि का उपयोग नहीं किए जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

6) दायित्व अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय :-

1. राज0 स्कूल शिक्षा परिषद से एस.एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति प्राप्त होने के तीन दिवस में राशि को ब्लॉक कार्यालयों को हस्तान्तरण करना सुनिश्चित करें एवं विद्यालय स्तर तक की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु व्यक्तिशः मॉनीटरिंग करें। विलम्ब की स्थिति में परिषद कार्यालय अथवा निदेशालय स्तर से की जाने वाली कार्यवाही के लिये सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।
2. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की राशि डाइस 2022-23 के नामांकन अनुसार विद्यालयों तक पहुंच सुनिश्चित करवाना।
3. विद्यालयों को जारी की गयी राशि एवं दिनांक से विद्यालयों को अवगत करवाना ताकि संस्था प्रधान द्वारा राशि का उपयोग यथा समय किया जा सके।
4. कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की राशि का विद्यालय स्तर पर छात्र हित में उपयोग करवाना।
5. पीईईओ/यूसीईईओ से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सीबीईओ के माध्यम से प्राप्त करना।
6. जिले का कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को प्रेषित करना।

7) दायित्व सीबीईओ कार्यालय :-

1. जिला कार्यालय से राशि आहरण स्वीकृति के तीन दिवस में ब्लॉक के समस्त विद्यालय की पीईईओ/यूसीईईओ को हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करें। विलम्ब की स्थिति में परिषद कार्यालय अथवा निदेशालय स्तर से की जाने वाली कार्यवाही के लिये सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।
2. वित्तीय वर्ष 2024-25 में कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की राशि का विद्यालय स्तर पर विद्यार्थी हित में समस्त राशि का उपयोग करवाया जाना सुनिश्चित करना।
3. विद्यालय स्तर पर राशि के उपयोग की मॉनीटरिंग करना।
4. ब्लॉक के समस्त पीईईओ/यूसीईईओ से वित्तीय वर्ष 2024-25 की सम्पूर्ण राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित करना।

8) दायित्व पीईईओ/यूसीईईओ (सीआरसी) कार्यालय :-

1. अधीनस्थ विद्यालयों द्वारा कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट राशि का दिशा-निर्देशों अनुसार विद्यार्थी हित में उपयोग करवाना एवं विद्यालयों को जारी राशि के उपयोग की सतत मॉनीटरिंग करना।
2. वित्तीय वर्ष 2024-25 में अधीनस्थ विद्यालयों से कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की सम्पूर्ण राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सीबीईओ कार्यालय को प्रेषित करना।

9) दायित्व विद्यालय संस्थाप्रधान :-

1. विद्यालय की एसडीएमसी/एसएमसी से विद्यालय की सुविधाओं के लिए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण कर लिखित में प्रस्ताव प्राप्त करना एवं वर्षभर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान निर्धारित करना।
2. एसडीएमसी/एसएमसी के 4 सदस्यों की क्रय समिति बनाना। इसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त 2 अभिभावक सदस्य हों तथा क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होना सुनिश्चित करना।
3. सामग्री क्रय कर रोकड़ बही स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर को सुव्यवस्थित संधारित करना।
4. वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की समस्त राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण-पत्र पीईईओ/यूसीईईओ कार्यालय को प्रेषित करना।

विशेष – परिषद कार्यालय से एस.एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त जिला कार्यालय तीन दिवस में चरणबद्ध रूप से ब्लॉक/पीईईओ, यूसीईईओ/विद्यालय को राशि आहरण की स्वीकृति जारी करवाया जाना सुनिश्चित करें।

प्रबन्ध पोर्टल एवम् एस.एन.ए. की व्यय राशियों में किसी प्रकार का अन्तर स्वीकार्य नहीं होगा। अन्यथा सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय कर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

10) लेखा सम्बन्धी बिन्दु :-

1. इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी। क्रय हेतु वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जाये।
2. किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये।
3. राशि का उपयोग गतिविधि व शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
4. क्रय की जाने वाली सामग्री में "राजस्थान लोक उपापन में पादरर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013" की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।

Composite School Grant (Elementary Budget) 2024-25

Sno.	District	(Enrol 1-30)	Fin. in lac per school @0.10 lac	(Enrol >31 - 100)	Fin. in lac per school @0.25 lac	(Enrol > 100 and <= 250)	Fin. in lac per school @0.50 lac	(Enrol > 250 and <= 1000)	Fin. in lac per school @0.75 lac	Total school	Total Fin. in lac
1	AJMER	253	25.300	616	154.000	361	180.500	33	24.750	1263	384.5500
2	ALWAR	424	42.400	958	239.500	513	256.500	63	47.250	1958	585.6500
3	BANSWARA	953	95.300	1375	343.750	423	211.500	49	36.750	2800	687.3000
4	BARAN	563	56.300	506	126.500	185	92.500	6	4.500	1260	279.8000
5	BARMER	1070	107.000	2040	510.000	743	371.500	45	33.750	3898	1022.2500
6	BHARATPUR	186	18.600	599	149.750	360	180.000	37	27.750	1182	376.1000
7	BHILWARA	503	50.300	1150	287.500	602	301.000	19	14.250	2274	653.0500
8	BIKANER	603	60.300	668	167.000	249	124.500	18	13.500	1538	365.3000
9	BUNDI	226	22.600	504	126.000	240	120.000	5	3.750	975	272.3500
10	CHITTAURGARH	393	39.300	669	167.250	322	161.000	4	3.000	1388	370.5500
11	CHURU	247	24.700	371	92.750	222	111.000	11	8.250	851	236.7000
12	DAUSA	399	39.900	536	134.000	202	101.000	1	0.750	1138	275.6500
13	DHAULPUR	93	9.300	417	104.250	272	136.000	54	40.500	836	290.0500
14	DUNGARPUR	859	85.900	1059	264.750	342	171.000	24	18.000	2284	539.6500
15	GANGANAGAR	662	66.200	590	147.500	185	92.500	2	1.500	1439	307.7000
16	HANUMANGARH	214	21.400	301	75.250	157	78.500	7	5.250	679	180.4000
17	JAIPUR	1161	116.100	1118	279.500	343	171.500	34	25.500	2656	592.6000
18	JAISALMER	427	42.700	449	112.250	174	87.000	8	6.000	1058	247.9500
19	JALOR	238	23.800	778	194.500	365	182.500	50	37.500	1431	438.3000
20	JHALAWAR	343	34.300	661	165.250	333	166.500	12	9.000	1349	375.0500
21	JHUNJHUNU	546	54.600	379	94.750	58	29.000	4	3.000	987	181.3500
22	JODHPUR	1038	103.800	1255	313.750	438	219.000	21	15.750	2752	652.3000
23	KARALI	323	32.300	542	135.500	210	105.000	19	14.250	1094	287.0500
24	KOTA	200	20.000	371	92.750	184	92.000	11	8.250	766	213.0000
25	NAGOUR	933	93.300	856	214.000	413	206.500	14	10.500	2216	524.3000
26	PALI	321	32.100	587	146.750	351	175.500	25	18.750	1284	373.1000
27	PRATAPGARH	556	55.600	674	168.500	215	107.500	12	9.000	1457	340.6000
28	RAJSAMAND	322	32.200	737	184.250	303	151.500	10	7.500	1372	375.4500
29	SAWAI MADHOPUR	194	19.400	385	96.250	183	91.500	8	6.000	770	213.1500
30	SIKAR	587	58.700	572	143.000	159	79.500	5	3.750	1323	284.9500
31	SIROHI	151	15.100	335	83.750	224	112.000	23	17.250	733	228.1000
32	TONK	465	46.500	506	126.500	168	84.000	1	0.750	1140	257.7500
33	UDAIPUR	1048	104.800	1803	450.750	716	358.000	54	40.500	3621	954.0500
	Grand Total	16501	1650.100	24367	6091.750	10215	5107.500	689	516.750	51772	13366.1000

Composite School Grant (Secondary Budget) 2024-25

Sno.	District	(Enrol 1- 30)	Fin. in lac per school @0.10 lac	(Enrol >31 - 100)	Fin. in lac per school @0.25 lac	(Enrol > 100 and <= 250)	Fin. in lac per school @0.50 lac	(Enrol > 250 and <= 1000)	Fin. in lac per school @0.75 lac	(Enrol >= 1000)	Fin. in lac per school @1.0 lac	Total school	Total Fin. in lac
1	AJMER	1	0.100	10	2.500	148	74.000	443	332.250	11	11.000	613	419.8500
2	ALWAR	1	0.100	48	12.000	359	179.500	474	355.500	4	4.000	886	551.1000
3	BANSWARA		0.000	1	0.250	96	48.000	413	309.750	11	11.000	521	369.0000
4	BARAN		0.000	2	0.500	131	65.500	195	146.250	3	3.000	331	215.2500
5	BARMER	1	0.100	14	3.500	300	150.000	640	480.000	3	3.000	958	636.6000
6	BHARATPUR		0.000	15	3.750	209	104.500	361	270.750	8	8.000	593	387.0000
7	BHILWARA		0.000	5	1.250	157	78.500	461	345.750	8	8.000	631	433.5000
8	BIKANER		0.000	19	4.750	161	80.500	383	287.250	12	12.000	575	384.5000
9	BUNDI		0.000	2	0.500	72	36.000	213	159.750	4	4.000	291	200.2500
10	CHITTAURGARH	1	0.100	8	2.000	187	93.500	241	180.750		0.000	437	276.3500
11	CHURU	1	0.100	27	6.750	239	119.500	316	237.000	9	9.000	592	372.3500
12	DAUSA		0.000	21	5.250	171	85.500	241	180.750	6	6.000	439	277.5000
13	DHAULPUR		0.000	1	0.250	59	29.500	240	180.000	6	6.000	306	215.7500
14	DUNGARPUR	1	0.100	5	1.250	94	47.000	348	261.000	5	5.000	453	314.3500
15	GANGANAGAR	2	0.200	29	7.250	215	107.500	266	199.500	1	1.000	513	315.4500
16	HANUMANGARH		0.000	20	5.000	157	78.500	250	187.500	4	4.000	431	275.0000
17	JAIPUR	7	0.700	85	21.250	477	238.500	530	397.500	22	22.000	1121	679.9500
18	JAISALMER	1	0.100	7	1.750	101	50.500	140	105.000	3	3.000	252	160.3500
19	JALOR		0.000	3	0.750	68	34.000	374	280.500	4	4.000	449	319.2500
20	JHALAWAR		0.000	5	1.250	85	42.500	246	184.500	5	5.000	341	233.2500
21	JHUNJHUNU	2	0.200	84	21.000	319	159.500	151	113.250	1	1.000	557	294.9500
22	JODHPUR	1	0.100	22	5.500	246	123.000	578	433.500	4	4.000	851	566.1000
23	KARALI	2	0.200	8	2.000	109	54.500	236	177.000	2	2.000	357	235.7000
24	KOTA		0.000	4	1.000	108	54.000	214	160.500	5	5.000	331	220.5000
25	NAGAUR	1	0.100	21	5.250	342	171.000	489	366.750	2	2.000	855	545.1000
26	PALI		0.000	16	4.000	202	101.000	337	252.750	3	3.000	558	360.7500
27	PRATAPGARH		0.000	3	0.750	68	34.000	204	153.000	3	3.000	278	190.7500
28	RAJSAMAND		0.000	5	1.250	113	56.500	243	182.250	1	1.000	362	241.0000
29	SAWAI MADHOPUR		0.000	3	0.750	120	60.000	207	155.250	4	4.000	334	220.0000
30	SIKAR		0.000	50	12.500	344	172.000	288	216.000	2	2.000	684	402.5000
31	SIROHI	1	0.100	4	1.000	47	23.500	225	168.750	1	1.000	278	194.3500
32	TONK	1	0.100	19	4.750	149	74.500	201	150.750	6	6.000	376	236.1000
33	UDAIPUR	1	0.100	15	3.750	212	106.000	634	475.500	2	2.000	864	587.3500
	TOTAL	25	2.500	581	145.250	5865	2932.500	10782	8086.500	165	165.000	17418	11331.7500

कम्पोजिट स्कूल ग्रांट उपयोगिता प्रमाण-पत्र (विद्यालय स्तर)

विद्यालय का नाम यू डाईस कोड.....
 ब्लॉक कार्यालय से कम्पोजिट स्कूल ग्रांट प्राप्त राशि दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2024-25 में विद्यालय को प्राप्त कम्पोजिट स्कूल ग्रांट राशि रु में से राशि का उपयोग एसएमसी /एसडीएमसी के द्वारा कर लिया है।

क्र.सं.	माह का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	नाम सामग्री	मात्रा / संख्या	दर	राशि (रुपये)	उपयोग का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्राज		वि. वि.
									पू.सं.	दिनांक	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शाला प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव संख्या दिनांक के अनुरूप क्रय की गई है, जिसका अनुमोदन एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा दिनांक द्वारा किया गया। साथ ही उक्त विद्यालय डाईस 2022-23 के अनुसार शून्य नामांकन का नहीं है।

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति / विद्यालय प्रबन्धन समिति

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति / विद्यालय प्रबन्धन समिति

कम्पोजिट स्कूल ग्रांट (पीईईओ/यूसीईईओ) उपयोगिता प्रमाण-पत्र

कार्यालय पीईईओ/यूसीईईओ ब्लॉक जिला

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2024-25 में सीबीईओ कार्यालय से पीईईओ/यूसीईईओ के अधीनस्थ निम्नलिखित विद्यालयों को प्राप्त कम्पोजिट स्कूल ग्रांट राशि का उपयोग विद्यालय द्वारा कर लिया है। विद्यालयवार विवरण निम्नानुसार है -

क्र. सं.	PEEO / UCEEO	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार PS/UPS / Sec./ Sr.Sec.	यू-डाईस	विद्यालय को ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त राशि	विद्यालय द्वारा उपयोग ली गयी राशि

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति

**कम्पोजिट स्कूल ग्रांट (ब्लॉक कार्यालय स्तर)
उपयोगिता प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2024-25 हेतु जिला कार्यालय से कम्पोजिट स्कूल ग्रांट मद में कुल राशि प्राप्त हुयी। प्राप्त राशि में से विद्यालयों को कुल राशि जारी की गयी। ब्लॉक कार्यालय के अधिनस्थ प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को जारी की गई कम्पोजिट स्कूल ग्रांट का सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा परिषद् से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप उपयोग कर लिया गया है। निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्राप्त कर ली गई है, जिसके आधार पर वित्तीय वर्ष 2024-25 का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है :-

कम्पोजिट स्कूल ग्रांट राशि उपयोग का विवरण								
क्र.सं.	कार्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार PS/UPS / Sec./ Sr.Sec.	ब्लॉक में विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों को जारी राशि	विद्यालयों द्वारा उपयोग ली गयी राशि	विद्यालय पर राशि उपयोग पश्चात अधिशेष राशि	ब्लॉक कार्यालय पर अधिशेष राशि	विद्यालय एवं ब्लॉक कार्यालय पर संकल अधिशेष राशि 9 = 7 + 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8
योग								

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
ब्लॉक कार्यालय

हस्ताक्षर
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
ब्लॉक कार्यालय

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट (जिला स्तर) उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2024-25 में जिला को कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट मद में प्राप्त राशि रूपये में से कुल प्राथमिक, कुल उच्च प्राथमिक, कुल माध्यमिक एवं कुल उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कुल राशि जारी की गई एवं राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैंस बुक की पृष्ठ संख्या पर समायोजन किया जा चुका है। उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा SNA से राशि आहरण एवं उपयोग की प्रविष्टि एम.पी.आर. एवं प्रबन्ध पोर्टल पर की गयी है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार होंगे।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक/ प्रभारी

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक

(कृष्ण कुणाल)
राज्य परियोजना निदेशक एवम् आयुक्त

क्रमांक:- रास्कूलशिप/जय/औ.शि./F- /CSG दिशा-निर्देश-2024-25/
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित :-

दिनांक :

- 1- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2- निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 3- निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त अनुदान के समुचित उपयोग हेतु, संयुक्त निदेशक/सीडीईओ/जि.शि.अ. प्रा. एवं मा./सीबीईओ/पीईईओ/यूसीपीईईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करायें।
- 4- निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, (प्रथम/द्वितीय), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 5- वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 6- उपायुक्त, योजना, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 7- समस्त जिला प्रभारी अधिकारीगण, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 8- समस्त जिला परियोजना समन्वयक/अति० जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा कार्यालय।
- 9- कार्यालय उपयोग हेतु।

RajKaj Ref
7399665